

# भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

संपदा कार्यालय

कक्ष संख्या 101 डी ( संकाय भवन (, (दूरभाषः 0512-259-7327)

संस्थान के परिसर मे स्थित महिला छात्रावास (जीएचटी) में कैंटीन चलाने हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा सं.14/2018-19

सम्पदा कार्यालय भा.प्रौ.सं. कानपुर द्वारा जारी

# भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय (दूरभाष: 0512-259-7327) रूम नं. 101-D (संकाय भवन)

कार्य / सेवा का नाम	कैंटीन चलाने के लिए
कार्यस्थल	महिला छात्रावास
क्षेत्रफल	43.40 वर्ग मीटर
मासिक लाइसेन्स शुल्क	Rs.2,292/-
बयाना राशि (ईएमडी)	Rs.10,000/-
निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि और समय	03 दिसंबर 2018, अपराहन 3 बजे तक
निविदा जमा करने का स्थान	सम्पदा कार्यालय, भा. प्रौ.सं. कानपुर
तकनीकी बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	03 दिसंबर अपराहन 3:30 बजे
वित्तीय बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	03 दिसंबर अपराहन 4:30 बजे
निविदा डाउनलोड करने का लिंक	http://www.iitk.ac.in/estateoffice/Tender.htm
निविदा खोलने का स्थान	सम्पदा कार्यालय, भा. प्रौ.सं. कानपुर

#### नं. ईओ/सीईएमएमसी-भा.प्रौ.सं.का./2018-19/737

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (एतद्पश्चात 'संस्थान' के रूप में उल्लेख किया गया है) की स्थापना संसद द्वारा की गई है जिसे निगमित निकाय के रूप में सिम्मिलित किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्ननालॉजी एक्ट 1961 के तहत संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है। संस्थान प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

पृष्ठ संख्या-2 के अनुसार संस्थान के पास एक कैंटीन परिसर उपलब्ध है जिसको संस्थान ऐसे इच्छुक व्यक्ति को लाइसेंस के आधार पर अपने स्वामित्व/प्रभुत्व के तहत इस प्रकार की दुकान को संचालित करने के लिए देना चाहता है जिनके पास इस प्रकार का आउटलेट चलाने का अनुभव हो और संस्थान समुदाय की संबन्धित जरूरतों की पूर्ति कर सके।

तदनुसार, सीलबंद बोली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की ओर से इच्छुक पार्टियों से परिसर में उपरोक्त स्थान पर इस तरह की दुकान चलाने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

आवेदक द्वारा विधिवत भरे गए निर्धारित निविदा प्रपत्र को सम्पदा कार्यालय में पृष्ठ संख्या-2 मे दिये गए समय एवं दिन के अनुसार निविदा बॉक्स में डाल सकते है।

- 1. निविदाएं पृष्ठ संख्या-2 मे उल्लिखित समयानुसार संस्थान की निविदा समिति के समक्ष तथा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी। बोलीदाता को प्रस्तुति के लिए निविदा समिति के समक्ष (अपनी कंपनी / फर्म की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने हेत्) साक्षात्कार देना होगा।
- 2. केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वितीय बोलियां पृष्ठ संख्या-2 मे दिये गए दिनांक और समय के अनुसार खोली जाएंगी।
- 3. संस्थान बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

-----ह.----सहायक कुलसचिव व प्रभारी अधिकारी, सम्पदा

दिनांक: 02 नवम्बर 2018

#### प्रतिलिपि:

- 1. निदेशक
- 2. उपनिदेशक
- 3. अध्यक्ष, सीईएमएमसी
- 4. क्लसचिव
- 5. सूचना पट्ट
- 6. संस्थान की वैबसाइट

#### निविदाकर्ता के लिए दिशानिर्देश

#### सामान्य:

- यह अनुबंध सफल बोलीदाता को उल्लिखित व्यवसाय, लाइसेंस के आधार पर आगे निर्दिष्ट नियम व शर्तो पर चलाने हेतु दिया जाएगा। अनुबंध की नियम व शर्ते परिशिष्ट-बी में समाहित हैं.
- 2. यदि बोलीदाता एक स्वामित्व फर्म है तो बोलीदाता के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और यदि बोलीदाता एक साझेदार फर्म है तो एक पार्टनर द्वारा हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। हालांकि, साझेदारी वाली फ़र्म के मामले में, सभी सहयोगियों से इस संबंध में एक प्राधिकरण होना चाहिए कि भागीदार के रूप में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी भागीदारों की तरफ से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- 3. यदि बोलीदाता एक कंपनी है, तो सक्षम प्राधिकारी / बोर्ड संकल्प द्वारा वैध प्राधिकरण पत्र होना चाहिए। उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कंपनी की तरफ से दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर बोली देने का अधिकारी होगा।
- 4. यदि कोई बोली प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं की गई है और प्राधिकरण रहित है, तो ऐसी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
- 5. बोली दस्तावेज में कोई भीअधिलेखन या कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से अधिलेखन या काटना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को बोली दस्तावेज पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर कर के प्रमाणित करना चाहिए।
- 6. निविदाकर्ता को निविदा पत्र में परिवर्तन करने की अनुमित नहीं है। इस तरह के परिवर्धन और परिवर्तन को निविदाकार अपने जोखिम पर जमा करेंगे और इस तरह की निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी
- निविदाकार अनुलम्नक-1 के अनुसार अपना पूर्ण स्थायी और पत्राचार पता संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करे।
- जिस बोलीदाता की बोली को स्वीकार किया जायेगा, उसे दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षिरित अनुबंध करार तैयार करने के लिए सम्पदा कार्यालय मे 100 रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर प्रस्तुत करना होगा.
- 9. अनुलग्नक- 2 में सभी वस्तुओं की कीमत भारतीय रुपए में उद्धृत की जानी चाहिए जो कि जीएसटी व अन्य सरकारी करों सहित होनी चाहिए।

#### पात्रता मापदंड:

- 10. आउटलेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोलीदाता के पास कार्यशील पूंजी के मामले में अच्छी वितीय स्थिति होना चाहिए. बेहतर वितीय स्थिति वाले व्यक्ति / फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी
- 11. बोली लगाने वाले को सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय / प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह का आउटलेट चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अन्भव होना चाहिए। इच्छ्क बोलीदाता अपने अन्भव/ क्षमता के पर्याप्त प्रमाण के साथ आवेदन कर सकते हैं।
- 12. बोलीदाता के पास पैन नंबर और जीएसटी / जीएसटीआईएन नंबर का पंजीकरण होना आवश्यक है। जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी, उसे, यदि संबंधित कानून आवश्यक है तो,आउटलेट के लिए एक जीएसटी नंबर रजिस्टर कराना होगा ,
- 13. बोलीदाता के पास संबंधित विभागों के कानपुर कार्यालयों से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत अपना कोड नंबर होना चाहिए।
- 14. जिस बोलीदाता के पास संस्थानपिरसर में पहले से ही एक अन्य प्रतिष्ठान / दुकान / कैंटीन आदि है उस फ़र्म को वर्तमान आउटलेट के प्रदर्शन के आधार पर बोली स्वीकार की जाएगी। जिस बोलीदाता के पास संस्थान पिरसर में पहले से ही दो या दो से अधिक प्रतिष्ठान / दुकान / कैंटीन आदि है , उस बोलीदाता की बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी बोलीदाता का संस्थान के साथ पहले से ही किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी चल रही है तो उस बोलीदाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वर्जित किया जाएगा। कर्मचारी व छात्रों के रिश्तेदारों को बोली प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

#### बयाना राशि (ईएमडी)

15. प्रत्येक निविदा के साथ एक ईएमडी, जैसा कि पृष्ठ सं. 2 पर दिया गया है, जमा करना अनिवार्य है। उक्त ईएमडी एफ़डीआर / टीडीआर / डीडी के रूप मे भारतीय स्टेट बैंक/ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/ किसी भी अनुसूचित बैंक से 'Registrar, IIT Kanpur' के

- नाम देय हो होनी चाहिए। ईएमडी के बिना डाली गयी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी राशि चेक के रूप मे स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 16. यदि सफल निविदाकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी, बहानेबाजी, या इनकार करता है तो उसके द्वारा जमा किया गया बयाना राशि क्षति के रूप में जब्त किया जा सकता है।
- 17. यदि सफल निविदाकर्ता अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में अपना निविदा वापस ले लेता है और जो अपनी वैधता की अविध के भीतर अपनी निविदा स्वीकार करने के बाद अनुबंध बांड पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति मे उसके द्वारा जमा किया गया बयाना धन जब्त किया जा सकता है।
- 18. (क) बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद असफल बोली लगाने वालों की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। संबंधित बोलीदाता के लिखित अन्रोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ईएमडी राशि लौटा दिया जाएगा।
  - (ख) ईएमडी न्यूनतम तीन महीनों की अवधि के लिए मान्य होना चाहिए।
  - (ग) सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि, परिशिष्ठ-ब मे दी गई शर्तों में निर्धारित जमानत राशि जमा करने के बाद वापस किया जाएगा।

#### निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

- 19. बोली लगाने वाले व्यक्ति को तकनीकी बोली (Technical bid) के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति संलम्न करनी होगी । उल्लिखित दस्तावेजों के बिना यदि कोई तकनीकी बोली जमा की जाती है तो उसे सीधे पर निरस्त किया जा सकता है।
  - (क) आयकर प्रमाण पत्र/ पैन नम्बर
  - (ख) पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट
  - (ग) फर्म /कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र
  - (घ) जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र नम्बर
  - (ङ) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र कोड नम्बर
  - (च) ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र कोड नम्बर
  - (छ) अन्य वैधानिक पंजीकरण लाइसेंस (यदि कोई है)
  - (ज) बैंक सोलवेनसी सर्टिफिकेट
  - (झ) FSSAI प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो). यदि टेंडर से सम्मानित किया जाता है तो निविदा प्रदान करने की तारीख से एक महीने के भीतर अनिवार्य रूप से एक नया एफएसएसएआई प्रमाण पत्र दाखिल किया जाना अनिवार्य होगा।
  - (স) अनुलग्नक -1 में बोली जमा करने वाली फर्म का विवरण (पार्ट1 & पार्ट -2)
  - (ट) दुकानों की संख्या एवं **उनका विस्तृत** विवरण
  - (ठ) अंकेक्षित तुलन पत्र के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के कुल कारोबार एवं लाभ / हानि सहित लाभ एवं हानि खाता का प्रमाण पत्र
  - (ड) फर्म / व्यक्ति के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की विवरण / सूची
  - (ढ) निविदा जमा करने वाली फर्म की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकार-पत्र/संकल्प पत्र
  - (ण) बयाना पिश जैसा की पृष्ठ सं.२ पर उल्लिखित है।
  - (त) आवेदक के पते का प्रमाणपत्र की प्रति
  - (थ) निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले आवेदक / व्यक्ति के 'आधार' की छायाप्रति
  - (द) आवश्यक समझे जाने वाले अन्य दस्तावेज जो निविदा दस्तावेज प्रावधानों के तहत अनिवार्य हों तथा जिनका उल्लेख ऊपर न किया गया हो।

#### निविदा प्रस्त्त करने की प्रक्रिया

- 20. निविदा दो भागों में प्रस्त्त की जाएगी: (i) तकनीकी बोली और (ii) वित्तीय बोली
  - (i) तकनीकी बोली: तकनीकी बोली में संपूर्ण निविदा दस्तावेज जिसमें परिशिष्ट-ए, परिशिष्ट-बी और अनुबंध-1 शामिल है। इसके साथ-साथ, विंदु-18 में दिये गए दस्तावेजों को भी संलग्न किया जाय। तकनीकी बोली को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो " तकनीकी बोली" साथ ही उस दुकान का नाम और स्थान लिफाफे पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

(ii) वित्तीय बोली: वित्तीय बोली, अनुलग्नक-2 में निर्धारित कीमतें है। वित्तीय बोली को एक अलग मुहरबंद लिफ़ाफ़ में रखा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो "वित्तीय बोली" साथ ही उस दुकान का नाम और स्थान लिफाफे पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

तकनीकी बोली और वितीय बोली दोनों को एक अलग लिफाफे मे सीलबंद किया जाय। उसके बाद सम्पदा कार्यालय कमरा सं. 101-डी (संकाय भवन), भा.प्रौ.सं. कानपुर में रखे गए निविदा पेटी में, पृष्ठ सं. 2 पर किए गए निर्धारित दिन और समय के अनुसार डाला जा सकता है।

एक ही लिफाफे में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली डालने वाले निविदादाता की बोली को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाएगा।

- 21. पृष्ठ सं. 2 पर निर्दिष्ट तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा प्राप्त होती है तो उस निविदा को किसी भी परिस्थित में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण (जैसे कि डाक की गलती से निविदा जमा करने में हुई देरी) पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- 22. निविदा खुलने के पश्चात निविदा 30 दिन के लिए वैध होगी। निविदा जमा करने के पश्चात यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले व्यक्ति ने 30 दिन की अविध की स्वीकृति हेतु निविदा को खुला रखा जाएगा। इस प्रकार 30 दिन की अविध समाप्त होने संे पूर्व किसी भी परिस्थिति में उसको अपनी निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि 30 दिन की अविध के पश्चात लाइसेंसधारक को इसकी स्वीकृति की सूचना दी जाती है तो निविदाकर्ता को इसे अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

#### निविदाओं का खुलना:

- 23. सबसे पहले पृष्ठ सं. 2 पर दिये गए दिन एवं समय के अनुसार बोली लगाने वाले अधिकृत प्रतिनिधियों और संस्थान की निविदा समिति के सदस्यों के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जाएगीं। बोली लगाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तुतिकरण / साक्षात्कार हेतु (अपनी कंपनी / फर्म की कार्य-प्रणाली से संबन्धित सवालों के संतुष्ट जबाब देने के लिए) समिति के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। इसके पश्चात केवल तकनीकी रूप से योग्य पायी गयी निविदाओं की वितीय बोली पृष्ठ सं. 2 पर निर्दिष्ट तारीख और समय के अनुसार खोली जाएगीं।
- 24. जिस भी निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है वह निविदा मिलने के 10 दिन के अन्दर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि संबंधित व्यक्ति 10 दिन के अन्दर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान अपने विवेकाधिकार पर निविदा को रद्द कर सकता है।

#### निविदा मूल्यांकन के मानदंड

25. पिछले प्रदर्शन या ब्रांड वैल्यू के आधार पर तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान बोली लगाने वालों को 0.8 से 1.2 की सीमा में मूल्य समायोजन फैक्टर दिया जायेगा। केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। अनुबंध उस बोलीदाता को दिया जाएगा, जो न्यूनतम योग (मूल्य समायोजन फैक्टर X बोली में वेटेड कीमतों का योग) होगा।

#### निविदा की स्वीकृति / अस्वीकृति

- 26. ऐसी निविदाएं जो उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करतीं अथवा किसी भी रूप मे अधूरी हैं को निरस्त माना जाएगा।
- 27. बिना कोई कारण बताए संस्थान के पास किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा बोली लगाने वाले व्यक्ति के पास इसको चुनौती देने अलावा कोई अन्य अधिकार नहीं होगा ।

निविदा <b>कर्ता</b> के हस्ताक्षर	
निविदाकर्ता का नाम	
पूरा पता	
~	
टेलीफ़ोन / मो. नं.	

#### अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्ते

#### अनुबंध का दायरा

1. इस अनुबंध में पेय पदार्थ, मिठाईयां, लंच, भोजनसूची में उल्लिखित समस्त खाद्य पदार्थों के अितिरक्त स्नैक्स तैयार करने के लिए अपेक्षित समस्त कच्चे माल की जरूरी व्यवस्था शामिल है। इसके अितिरक्त इस अनुबंध में खाद्य पदार्थों को तैयार एवं उपलब्ध कराने हेतु समस्त सामग्री एवं उपकरणों के साथ-साथ ग्राहकों को तैयार खाद्य सामग्री परोसने की व्यवस्था भी शामिल है। इस अनुबंध में परिवहन, सामग्री की लागत एवं कैंटीन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का वेतन भी शामिल है। लाइसेंसधारक को सामग्री के सुरक्षित भण्डारण एवं अपने कर्मचारियों के रहने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

#### परिभाषा

- 2. इस अनुबंध में निविदा**कर्ता** के लिए निम्नलिखित परिभाषा, शब्द एवं अभिव्यक्तियां विनिर्दिष्ट की गई हैं **का** अनुबंध में उल्लिखित का ही प्रयोग किया जाएगा।
  - (क) "सी.ई.एम.एम.सी." से तात्पर्य निदेशक द्वारा गठित 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान जाँच एवं प्रबंधन समिति' से है।
  - (ख) "कांट्रेक्टर" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, फर्म या कंपनी से है जिसकी निविदा संस्थान द्वारा स्वीकृत की गई हो। इसमें लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एव स्वीकृत वारिस शामिल होंगे।
  - (ग) "निदेशक" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक से है।
  - (ঘ) "संस्थान" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से है जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि होगा।
  - (ङ) "प्रभारी अधिकारी (संपदा)" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के संपदा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से है जो इस अनुबंध से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्रवाई को निष्पादित करेंगें।
  - (च) "वार्डेन" से तात्पर्य **संबन्धित छा**त्रावास के वार्डेन-इंचार्ज तथा अन्य वार्डेन से है।

#### अनुबंध संबंधी दस्तावेज

3. परिशिष्ट -A अर्थात् **बोलीदाता** हेतु दिशा-निर्देश, परिशिष्ट-B अर्थात् अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्ते, आवेदन एवं घोषणा अनुलम्नक-1 (भाग-I & II), अनुलग्नक-2 मे भरे गए मूल्य और मात्र अनुसूची, संस्थान द्वारा सफल निविदाकार को निविदा दिये जाने से संबंधित प्रस्ताव पत्र इस अनुबंध-पत्र का अभिन्न हिस्सा होगा।

#### अनुबंध की अवधि

4. संविदा की अवधि शुरुआत में, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से, एक साल के लिए होगी। पहले तीन महीनों परिवीक्षा की अविध होगी और परिवीक्षा अविध के संतोषजनक पूरा होने पर, अनुबंध को स्वचालित रूप से शेष वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, अर्थात् अगले नौ महीने। इसके बाद, पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध दो साल तक बढ़ाया जाएगा (एक बार में एक वर्ष)। किसी भी परिस्थिति में अनुबंध पांच साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा।

#### लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं लाइसेंसधारी भवन के लिए अन्य प्रावधान

- 5. लाइसेंसधारक को हर महीने की प्रत्येक 7 तारीख को नियमित रूप से लाइसेंस शुल्क, पृष्ठ सं. 2 पर निर्दिष्ट, का भुगतान करना होगा। हालांकि संस्थान के निर्णयनुसार उक्त लाइसेंस शुल्क में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। सफाई शुल्क का भुगतान संस्थान मे मौजूदा दर के अनुसार अलग से करना होगा (वर्तमान सफाई शुल्क दर रूपए 500/- है)। जीएसटी और अन्य सरकारी करों का भुगतान अतिरिक्त करना होगा।
- 6. यदि **उपरोक्त** अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता **है** तो **लाइसेंसधारक** को लाइलेंस शुल्क के अतिरिक्त संचयी आधार पर विलंब शुल्क के रूप में 100 प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करना होगा।
- 7. **लाइसेंसधारक** को वास्तिवक विद्युत खपत के आधार पर उस समय की विद्युत दर के हिसाब से संपदा कार्यालय में बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक को मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इस उद्देश्य हेतु संस्थान द्वारा कैंटीन में एक विद्युत मीटर लगाया जाएगा। हालांकि बिजली की दरों में समय-समय पर परिवर्तन / संसोधन हो सकता है। ऐसी स्थिति मे लाइसेंसधारक को उस समय की परिवर्तित दरों के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
- 8. हालांकि यदि **लाइसेंसधारक** समय पर विद्युत बिल का भुगतान नहीं करता तो उसे वास्तविक देय (बिल) के अतिरिक्त उसका 5 प्रतिशत बिलंब शुल्क के रूप में देना होगा।
- 9. यदि लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं सफाई शुल्क का समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो इसे अनुबंध की शर्तों क**ा** उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उल्लिखित अनुबंध को समाप्त कर सकता है। यदि लगातार तीन माह तक विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति मे लाइसेन्सधारक की संबन्धित दुकान का विद्युत सप्लाई काट दिया जाएगा।
- 10. **लाइसेंसधारक** संबंधित परिसर का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा उसे यह दिया गया है केवल उसी उद्देश्य के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि लाइसेंसधारक अन्य किसी दूसरे उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग करता है तो उल्लिखित अनुबंध को **तत्काल प्रभाव से** समाप्त कर दिया जाएगा।
- 11. संपदा कार्यालय की पूर्व लिखित अनुमित के बगैर **लाइसेंसधारक** इस परिसर का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य अनुबंधित (जिस **वस्तु को बेचने की** अनुमित दी गई है, उनके अलावा किसी अन्य वस्तु **को बेचना** भी शामिल है) अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा। **लाइसेंसधारक** परिसर का इस्तेमाल ऐसे बुद्धिमानी एवं सावाधानीपूर्वक तरीके से करेगा जैसे कि यह परिसर उसका खुद का हो।

#### अभिहस्तांतरण और उपकिराएदारी

- 12. संस्थान की लिखित अनुमित के बगैर लाइसेंसधारक आवंटित पिरसर अथवा इसके किसी भाग को अन्य किसी व्यक्ति के सुपुर्व नहीं करेगा और न ही इससे किसी प्रकार का लाभ इसके अंतर्गत हासिल करेगा। इस अनुबंध के तहत समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन स्वयं लाइसेंसधारक या फिर उसके अधिकृत एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा किया जाएगा। लाइसेंसधारक अपने किमेंयों के कार्यों, गलितयों एवं लापरवाहियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्त समस्त कार्यों के लिए लाइसेंसधारक स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा।
- 13. यदि कभी भी यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं के विवेकाधिकार (निर्णय) पर कैंटीन को किराये पर अथवा किसी अन्य संस्था के सपुर्द किया गया हो एवं इसके पश्चात दिये गये परिसर को वापस ले लिया हो तथा / अथवा किसी दूसरी पार्टी को हस्तांतिरत कर दिया हो तो अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और आवंटित परिसर को संस्थान अपने कब्जे में ले लेगा।
- 14. कैंटीन का समस्त कारोबार लाइसेंसधारक के नाम एवं उसके आदेश पर ही निष्पादित किया जाएगा।
- 15. **लाइसेंसधारक** अथवा उसके अधिकृत/सक्षम प्रतिनिधि कैंटीन में हर समय उपलब्ध रहेंगे उसकी सूचना संपदा कार्यालय को पहले से लिखित में दी जाएगी। किसी भी परिस्थित में कैंटीन का कारोबार किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा नहीं किया जाएगा।
- 16. आमतौर पर लाइसेंसधारक अथवा उसके अधिकृत सक्षम व्यक्ति को कैंटीन में मौजूद रहना होगा। हालांकि यदि किसी कारण से लाइसेंसधारक लगातार तीन महीने से अधिक समय तक कैंटीन आने की स्थिति में नहीं है तो इस संबंध में संपदा कार्यालय की पूर्व अनुमित प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि लाइसेंसधारक द्वारा अनुबंध की अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन किया गया है तथा इस स्थिति में उसके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई में संस्थान के निर्णयानुसार पर्याप्त अर्थदंड भी शामिल हो सकता है।

#### कैंटीन का समय, मेन्यू, मूल्य, सुविधाएं एवं सेवाएं इत्यादि

- 17. कैंटीन का समय दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 2.00 बजे तक होगा। रात्रि 2.00 बजे के पश्चात कैंटीन का संचालन करने के लिए संपदा कार्यालय की, छात्रावास के मामले में वार्डिन के माध्यम से, पूर्व अनुमित प्राप्त करनी होगी।
- 18. कैंटीन सप्ताह में सातों दिन संचालित की जाएगी तथा संपदा कार्यालय के पूर्व अनुदेश अथवा अनुमोदन के बगैर किसी भी परिस्थिति में कोई अवकाश नहीं रहेगा।
- 19. अनुलानक-1 में दर्शाई गई समस्त खाद्य वस्तुएं कैंटीन में उपलब्ध रहनी चाहिए। हालांकि संस्थान स्वप्रेरणा से अथवा वार्डेन इंचार्ज के माध्यम से छात्रावास कार्यकारी समिति की सिफारिश पर मेन्यू/अनुलानक-1 में दर्शाई गई खाद्य सामग्रियों की सूची में जोड़ / घटाव कर सकता है। इस संबंध में समस्त आदेश संपदा कार्यालय द्वारा जारी किये जाएगें।
- 20. उम्मीद की जाती है कि अनुबंध की पूरी अविध के दौरान अनुलग्नक-1 में दर्शाई गई समस्त खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेगी। खाद्य वस्तुओं की बाजार दर एवं कैंटीन किमीयों के वेतन में वृद्धि के कारण लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। हालांकि सी.ई.एम.एम.सी. अपने विवेक तथा लाइसेंसधारक एवं वार्डेन इंचार्ज के साथ परामर्श करके मूल्य सूचकांक, जैसा कि <a href="http://www.mospi.gov.in/#">http://www.mospi.gov.in/#</a> उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र के लिए दर्शाया गया, में हुए संपूर्ण परिवर्तन के अनुपात में तिमाही आधार पर खाद्य वस्तुओं की दरों में संसोधन कर सकती है। मूल्य सूचकांक तृतीय पक्ष के वस्तुओं पर लागू नहीं होगी। हालांकि, कीमतों में सभी प्रकार के परिवर्तन एक रुपये के गुणांक मे होंगे।
- 21. छात्रावास कैंटीन के संबंध में, समस्त आवश्यक एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं संस्थान की तरफ से संबंधित छात्रावास द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- 22. भीम / यूपीआई, क्रेडिट / डेबिट कार्ड, **इत्यादि** द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध **होनी चाहिए**।
- 23. अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 10 दिन के भीतर उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए लाइसेंसधारक द्वारा (संस्थान के संचार विभाग के माध्यम से) 4 डिजिट वाला कैंपस टेलीफोन उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर भी रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर संस्थान के अधिकारी संपर्क कर सकें। लाइसेंसधारक द्वारा खाद्य पदार्थों की दर-सूची को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड के उपरी किनारे पर इस 4 डिजिट कैंपस टेलीफोन का नम्बर दर्शाया जाएगा।
- 24. सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए। अग्निशामक (2 कि.ग्रा. एवं 4.5 कि.ग्रा. सूखा) एवं रेत से भरी हुई बाल्टी सुलभ जगह पर उपलब्ध तथा चालू हालत में होनी चाहिए। आपातकालीन नम्बरों को प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आकस्मिक स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा संबंधी दवाईयां एवं अन्य समान कैंटीन उपलब्ध होने चाहिए।
- 25. खाद्य सामग्रियों एवं उनकी दरों से संबंधित सूची को पठनीय फॉन्ट में कैंटीन के प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। खाद्य सामग्री एवं दर से संबंधित मुद्रित प्रपत्र मेज पर भी उपलब्ध होने चाहिए। उक्त प्रपत्र मांगे जाने पर ग्राहक को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
- 26. लाइसेंसधारक को ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उपयुक्त एवं निर्विध्न सेवाएं उपलब्ध करानी होगीं।
- 27. **लाइसेंसधारक** द्वारा परिसरवासियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार **के नुकसान** के लिए **लाइसेंसधारक** स्वयं उत्तरदायी होगा। संस्थान की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही इस संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में भागीदार होगा।
- 28. निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित समस्त प्रकार की खाद्य वस्तुएं हर समय कैंटीन में उपलब्ध रहनी चाहिए। व्यंजन सूची में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अर्थात् जोड़ या घटाव के लिए संबंधित खाद्य पदार्थ की दर के साथ संपदा कार्यालय से अनुमित प्राप्त करनी होगी।

29. नगद भुगतान करने में असमर्थ ग्राहकों के लिए **लाइसेंसधारक** को स्वाइप मशीन उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त कैंटीन के अन्दर UPI आधारित पेमेंट सिस्टम भी उपलब्ध कराना होगा। **लाइसेंसधारक** को स्क्रीन पर अपने VPA (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) अथवा Q-Code प्रदर्शित करना होगा तािक ग्राहक UPI ऐप (भीम अथवा समकक्ष) के माध्यम से अपना भुगतान करने में समर्थ हो सके।

#### वस्त् और सेवा कर (जीएसटी) व अन्य करों की देयता

- 30. **लाइसेंसधारक** कैंटीन के अन्दर विक्रय की गई वस्तुओं पर संबंधित विभाग को जीएसटी के भुगतान के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। इस संबंध में संस्थान हर प्रकार की देयता स**े** मुक्त समझा जाएगा।
- 31. इसके अतिरिक्त समय-समय पर लागू दर के हिसाब से **लाइसेंसधारक** को लाइसेंस शुल्क पर संस्थान को जीएसटी का भुगतान करना होगा। **लाइसेंसधारक** को लाइसेंस शुल्क के भुगतान कर**ने पर** संबंधित कार्यालय दवारा लेखा उददेश्यों हेतु जीएसटीआईएन सहित कर चालान रसीद जारी किया जाएगा।
- 32. **लाइसेंसधारक** को सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले अन्य करों,वसूली तथा दूसरी विधिक देयताओं का भुगतान भी करना होगा।
- 33. **लाइसेंसधारक** कैंटीन के आस-पास तथा परिसर में अन्य स्थलों पर लगे हुए पेड़-पौधो**ं**, झाडियों तथा पुष्पों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा
- 34. **लाइसेंसधारक संस्थान के** संबंधित विभाग की पूर्व लिखित अनुमित के बगैर कैंटीन मेे न तो किसी भी प्रकार का फेर-बदल (तोड़-फोड़) करेगा और न ही इसके अन्दर फिटिंग अथवा इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन को नुकसान पहुँचाएगा और न ही कैंटीन के अन्दर अनिधकृत निर्माण अथवा विद्युत या जल आपूर्ति की लाइन में विस्तार करेगा।

#### गुणवत्ता एवं स्वच्छता और साफ-सफ़ाई

- 35. **लाइसेंसधारक** खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता, ठंडे पेय जल की सतत आपूर्ति एवं ताज़ी खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता को बरकरार रखेगा । कैंटीन मे विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
- 36. **लाइसेंसधारक** केंटीन में, गोदाम में तथा खाद्य वस्तुओं को तैयार व परोसते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखेगा। साथ ही साथ फर्श, फर्नीचर, बर्तन, क्राकरी इत्यादि को भी साफ-सुथरा रखेगा ताकि कैंटीन के मानक एवं सौंदर्य को बरकरार रखा जा सके। **लाइसेंसधारक** को खाद्य पदार्थों सहित सामग्री के सुरक्षित भण्डारण हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- 37. कैंटीन परिसर के अन्दर हवा एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। कैंटीन परिसर के बाहर किसी भ**ी** प्रकार के अतिक्रमण अथवा सामान रखने की अनुमित नहीं होगी।
- 38. कूड़े-कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों की संस्थान के मानकों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। हानिकारक कीड़े-मकोड़ों तथा चूहों को नियंत्रित करने की व्यवस्था नियमित अन्तराल मे की जानी चाहिए।
- 39. पुराने बासी तथा इक्स्पाइर्ड खाद्य पदार्थों को कैंटीन के अन्दर रखने की अनुमित नहीं होगी।
- 40. प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है तथा किसी भी परिस्थिति में इनका प्रयोग नहीं होगा। इनके स्थान पर कागज़ के बैग / प्लेट्स / कप्स के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

#### सीईएमएमसी एवं संपदा कार्यालय के दिशा-निर्देश

- 41. **लाइसेंसधारक** को अनुबंध व सम्पदा कार्यालय के दिशा-निर्देशों एवं सीईएमएमसी के माध्यम से निदेशक की संतुष्टि के अनुरूप कार्य करना होगा सीईएमएमसी किम्निलिखित के संबंध में समय-समय पर अनुदेश, विस्तृत दिशा-निर्देश तथ**ा** अन्य स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।
  - (क) वृद्धि / विलोप अथवा विकल्प सहित व्यंजन सूची की दरों में कसी भी प्रकार का फेरबदल अथवा परिवर्तन।
  - (ख) लाइसेंसधारक द्वारा साइट से कोई सामान हटाना एवं उस सामान के बदले अन्य सामान लाना।
  - (ग) इसके **पश्चात** प्रदान किए गए प्रावधान के संदर्भ में उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति के काम से हटाना।
  - (घ) कच्ची सामग्री, अन्य उपकरणों एवं बर्तनों का निरीक्षण।
  - (ङ) उचित सफसफ़ाई, शुद्धता एवं स्वास्थ्यकर संबंधी वातावरण का रखरखाव।

#### खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाला इंधन

42. खाना बनाने के लिए **लाइसेंसधारक** केवल पीएनज**ी / इंडक्शन** का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के इंधन की अनुमित नहीं होगी। तदनुसार **लाइसेंसधारक केंद्रीय यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल) से** कमर्शियल पीएनजी कनेक्शन लेना **सुनिश्चित करेंगे**। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेन्डर के प्रयोग की अनुमित केवल तभी होगी जब पीएनजी आपूर्ति में खराबी अथवा अन्य कारण से बाधा उत्पन्न हो रही हो।

#### कर्मियों की नियुक्ति

- 43. कैंटीन संचालित करने के लिए **लाइसेंसधारक** केवल ऐसे किमयों को ही नियुक्त करेगा जो अपने कार्य में कुशल, अनुभवी, आज्ञाकारी, सुशील,व्यवहार कुशल एवं नियमों क**ो** मानने वाला हो।
- 44. कैंटीन में कर्मियों को नियुक्त करने से पूर्व **लाइसेंसधारक** को संपदा कार्यालय से उनकी **तैनाती** से संबंधित अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस कार्य के लिए **लाइसेंसधारक** को प्रदत्त प्रपत्र में संबंधित कर्मियों का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

- 45. लाइसेंसधारक बच्चों तथा 18 साल से कम उम्र के कर्मियों की नियुक्ति नहीं करेगा।
- 46. रात्रि 8 से सुबह 6 बजे के मध्य महिला कर्मियों को कैंटीन के अन्दर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
- 47. कैंटीन के अन्दर कार्य करने वाले कर्मियों को हमेशा अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा। कर्मियों को यह पहचान पत्र लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराना होगा। । सुरक्षा कर्मियों एवं संस्थान के अन्य अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर कैंटीन-कर्मी को यह पहचान पत्र दिखाना होगा।
- 48. कार्य अवधि के दौरान कैंटीन के अन्दर सेवाएं देने वाले कर्मियों को **लाइसेंसधारक** स्वयं के खर्च पर यूनिफॉर्म उपलब्ध करायेगा। कार्य-अवधि के दौरान कर्मी साफ-सुथरे एवं व्यवस्थित तरीके से हमेशा उक्त यूनिफॉर्म के पहनकर रखेगा।
- 49. कर्मियों द्वारा आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी पूर्णतया लाइसेंसधारककी ही होगी।
- 50. **लाइसेंसधारक** आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन न करने वाले कर्मी को कैंटीन से निकालने के लिए बाध्य होगा तथा संस्थान प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से जिन कर्मियों को परिसर के अन्दर जारी रखना उपयक्त नहीं समझता, उनके प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा।
- 51. **लाइसेंसधारक** अपने कर्मी क**ो** काम में लगाने, हटाने, निलंबित, निष्कासित, छटनी, बर्खास्ती एवं सेवामुक्त करने अथवा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए **पूर्णा**रूप से स्वतंत्र होगा। **लाइसेंसधारक** अपने कर्मियों के संदर्भ में मालिक तथा नौकर के संबंधों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा संस्थान का उल्लिखित मामलों में किसी भी प्रकार का कोई सकोकार नहीं रहेगा।
- 52. **लाइसेंसधारक** अपने कर्मियों से संबंधित ऐसे किसी भी विवाद अथवा मामले, जिनको किसी फोरम अथवा न्यायालय में चुनौती दी जाती है, के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। लाइसेंसधारक को अन्य सांविधिक देयताओं के साथ-साथ उस समय लागू श्रम कानून के प्रावधानों के तहत देय समस्त देयताओं का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय के निर्णय के आधार पर नौकर-मालिक के संबंधों के कारण उत्पन्न अन्य समस्त प्रकार की देयताओं का भी **लाइसेंसधारक को** भुगतान करना होगा।
- 53. यदि लाइसेंसधारक के किसी कमीं की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों (चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में) की वजह से संस्थान की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है तो इसकी भरपाई स्वयं लाइसेंसधारकको करनी होगी।

#### सांविधिक बाध्यताओं एवं अन्य प्रावधानों का अनुपालन

- 54. यह सर्वविदित है कि **लाइसेंसधारक** पर कई प्रकार के नियम एवं कानून लागू होते हैं और **लाइसेंसधारक** से यह उम्मीद की जाती है कि वह इन **सभी** नियम एवं कानूनों को अक्षरशः अनुपालन करेगा विशेषरूप से कर्मियों को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी मुआवज़ा एवं जीएसटी आदि से संबंधित नियम एवं कानूनों के संबंध में।
- 55. लाइसेंसी पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि वह परिसर के अन्दर ऐसा कोई भी उत्पाद नहीं बेचेगा जिसकी बिक्री सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के तहत पूर्णरूप से प्रतिबंधित हो।
- 56. **लाइसेंसधारक** को श्रम कानून, कर्मचारी मुआवजा एवं न्यूनतम वेतन के साथ साथ नाप-तौल, खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम सिंहत संस्थान द्वारा समय-समय पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त समस्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। ठेका मिलने पर **लाइसेंसधारक**को एक सप्ताह के अन्दर FSSAI लाइसेंस के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा एवं परिवीक्षा काल की समाप्ति से पूर्व लाइसेंस हासिल करना होगा। उल्लिखित लाइसेंस की एक प्रति संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 57. लाइसेंसधारक को ऐसी आर्थिक क्षित की भरपाई करनी होगी जो समय-समय पर लाइसेंसधारक की गलती अथवा अन्य सांवधिक देयताओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। इस क्षित में वेतन के रूप में किमेंयों की देयताएं, न्यायलय द्वारा दिया गया अर्थदंड एवं मुआवजा शामिल हो सकता है। यदि लाइसेंसधारक की विफलता के कारण संस्थान उक्त आर्थिक क्षित की भरपाई करता है तो ऐसी स्थित में लाइसेंसधारकको संस्थान प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर संस्थान को इस राशि का भुगतान करना होगा। उल्लिख राशि का भुगतान न करने की स्थित में इस राशि की वसूली लाइसेंसधारकद्वारा जमा की गई प्रतिभृति राशि से कर ली जाएगी।
- 58. संस्थानः सांविधिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों, सरकारी प्राधिकारियों/नगर निगमों/ न्यायलयों/अदालतों के आदेशों एवं निर्देशों से संबंधित समस्त मामलों, दावों, देयताओं एवं कानूनी फैसलों के साथ-साथ इस अनुबंध के समस्त प्रावधानों से पूरी तरीके से मुक्त एवं सुरक्षित रहेगा। यदि लाइसेंसधारककी विफलता अथवा उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के कारण संस्थान को किसी भी प्रकार की देयता वहन करनी पड़ती है तो फिर संस्थान लाइसेंसधारक से वित्तीय देयताओं की वसूली करने के साथ साथ उसके विरूद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई का निर्णय भी ले सकता है।
- 59. सी ई एम एम सी के अध्यक्ष से विचार-विमर्श के पश्चात प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा जारी किए गये समस्त दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का लाइसेंसधारकद्वारा अनुपालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक द्वारा सुरक्षा/संरक्षा एवं अनुशासन से संबंधित सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों/अनुदेशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 60. **लाइसेंसधारक** इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि न तो वह स्वयं और न ही उसका कोई कर्मचारी संस्थान परिसर के शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करेगा। जमा प्रतिभृति
- 61. **लाइसेंसधारक**को FDR के माध्यम से 50,000 (केवल पचास हजार रूपये) की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी जो की 'कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी कानपुर' के पक्ष में होनी चाहिए तथा कानपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक / भारतीय यूनियन बैंक या किसी अन्य अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो । उक्त FDR की वैद्यता निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 03 महीने की अविध के लिए होनी चाहिए।
- 62. यदि किसी भी समय तथा किसी भी कारण से (जिसका कि पूर्व के अनुच्छेदों अथवा कहीं और पर उल्लेख किया गया हो) जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारकको इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर एक अन्य FDR जमा करके इस कमी को पूरा करना होगा।

- 63. यदि इस अनुबंध के अनुच्छेद(दों) के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारक संपूर्ण जमा प्रतिभूति के बराबर राशि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। निदेशक को (जैसा कि उनके द्वारा संस्थान के सर्वश्रेष्ठ हित में उपयुक्त समझा जाएगा) निम्मलिखित कार्रवाई करने का अधिकार होगाः अनुबंध को रह करना (जिसकी सूचना सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारकको दी जाएगी)। ऐसे मामले में लाइसेंसधारकद्वारा जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इसके निपटारे का पूर्ण अधिकार संस्थान के पास होगा। इसके अतिरिक्त जमा प्रतिभूति से अधिक राशि की वसूली करन े के लिए संस्थान उपयुक्त समझे जाने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 64. यदि लाइसेंसधारकद्वारा इस अनुबंध की किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है जिसको संस्थान द्वारा गंभीरता से लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार से लाइसेंसधारकद्वारा जमा की गई राशि को आंशिक अथवा पूर्णरूप में जब्त कर सकता है।

#### शिकायत तंत्र

- 65. **लाइसेंसधारक** को कैंटीन के अन्दर अनिवार्यरूप से शिकायत पुस्तिका उपलब्ध करानी होगी जिसमें ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उक्त शिकायत पुस्तिका प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य-दिवस पर वार्डेन-इन-चार्ज के माध्यम से संपदा कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
- 66. **लाइसेंसधारक**द्वारा शिकायतों का निवारण प्राथमिक आधार पर किया जाएगा तथा शिकायत पुस्तिका सहित अनुपालन रिपोर्ट को संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 67. लाइसेंसधारकको स्वयं की गलती एवं लापरवाही अथवा संस्थान या फिर सी ई एम एम सी की ओर से शिकायत मिलने पर दण्ड अथवा अर्थदण्ड दिया जा सकता है। इस प्रकार का दण्ड शिकायत के स्वरूप के आधार पर प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा । इस प्रकार के मामलों में पहली बार 1000, दूसरी बार 2000 तथा तीसरी बार 5000 रूपये की राशि का अर्थदंड लगाया जा सकता है।
- 68. इसके पश्चात भी यदि इसी प्रकार की शिकायतों का मिलना जारी रहता है तो फिर संस्थान इस संबंध में संबंधित लाइसेंसधारकको और अधिक नोटिस दिये बिना उसके अनुबंध को सीधे-सीधे समाप्त करन**ें** के लिए स्वतंत्र होगा।

#### अनुबंध की समाप्ति

- 69. कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी कारण बताए बिना 30 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकती है।
- 70. अनुबंध के अन्दर उल्लिखित हरएक प्रावधान के संदर्भ में यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- 71. यदि अनुबंध समाप्त किया जाता है या फिर यह समय से पूर्व समाप्त होता है तो लाइसेंसधारकको अनुबंध समाप्त होने से पूर्व 07 दिनों के अन्दर लाइसेंसधारी परिसर के खाली आधिपत्य को सौंपने में विफल रहता है तो संस्थान उसके विरूद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।
- 72. इसके अतिरिक्त संस्थान के पास परिसर के अन्दर प्रवेश करने तथा इस अनुबंध के तहत लाइसेंस पर दिये गये परिसर पर आधिपत्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसको कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जाएगी। उक्त परिस्थित उत्पन्न होने पर लाइसेंसधारकसे संबंधित समस्त सामान को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान के आदेश पर इस सामान को या तो बेच दिया जाएगा या फिर इसकी नीलामी कर दी जाएगी। यदि लाइसेंसधारकउल्लिखित स्थिति उत्पन्न होने पर संस्थान को परिसर का आधिप्तय नहीं सौंपता है तो फिर संस्थान अपनी स्वेच्छा से सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत किरायेदार बेदखली) अधिनयम 1971 के प्रावधानों के तहत लाइसेंसधारकके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है क्योंकि कि संपूर्ण परिसर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाता है।

#### अनुबंध दस्तावेज एवं अन्य व्याख्याएं

- 73. मूल अनुबंध संबंधी दस्तावेज संस्थान के पास रहेगें। हालांकि यदि लाइसेंसधारकचाहे तो अनुबंध संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति अपने पास रख सकता है।
- 74. अनुबंध संबंधी कई दस्तावेज एक-दूसरे के लिए परस्पर स्पष्ट किये गये हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता एवं विसंगति उत्पन्न होने पर इसका स्पष्टीकरण (दिशा-निर्देशों सहित यदि कोई है) संस्थान द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारकको प्रेषित किया जाएगा तथा इस स्पष्टीकरण को अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाएगा एवं उक्त स्पष्टीकरणों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

#### अधिकार क्षेत्र

75. इस अनुबंध के तहत सभी मामले और विवाद केवल कानपुर नगर जिला अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

#### <u>भाग-1</u>

निविदाकर्ता का नाम ——		
पिता का नाम		
े निविदाकर्ता का पता ——		
टेलीफ़ोन / मोबाइल नंबर ——		— पासपोर्ट आकार की
आधार नंबर (व्यक्ति की दशा मे) ——		फोटो यहाँ चिपकाएं
बयाना राशि का विवरण ——		
(क) धनराशि ——		
(ख) एफ़डीआर/टीडीआर/डीडी नंबर ——		
(ग) दिनांक ——		
(घ) बैंक और उसकी शाखा ——		
जीएसटी नंबर ——		
पैन नंबर		
ईपीएफ़ कोड नंबर (यदि हो)		
ईएसआई कोड नंबर (यदि हो) ——		
कार्य अनुभव (वर्ष मे) ——		
गारंटर के रूप में दो जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम और पता		
नाम	नाम	
आधार नंबर		
पता	_ पता	
घोषणाः		
मैं एतद घोषणा करता हूं-		
<ol> <li>यदि उक्त परिसर में कोई नुकसान हो तो</li> </ol>	मैं सभी खर्चों का वहन करूंगा।	
3	ो खाली करने का दिया जाता है तो मैं उक्त परिस	र को तत्काल खाली कर संस्थान
को सौंप दुंगा।		
3. कि मैं इस निविदा दस्तावेज के सभी निय	मों और शर्तों को मनाने के लिए बाध्य हूँ।	
दिनांक:		निविदाकर्ता के
		हस्ताक्षर

#### <u>भाग-2</u>

### निविदाकर्ता द्वारा भरा जाएगा

यदि निविदाकर्ता एक फ़र्म है।		यदि निविदाकर्ता एक व्यक्ति है।		
आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र / पैन नंबर:		आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र / पैन नंबर:		
पंजीकृत फर्म के पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट		पंजीकृत फर्म के पिछले एक साल के	बैंक स्टेटमेंट	
दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		
जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / संख	या:	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / संख्य	π:	
दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		 दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		
फर्म पंजीकरण संख्या:		फर्म पंजीकरण संख्या:		
दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		
कर्मचारियों की संख्या		कर्मचारियों की संख्या	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ईपीएफ पंजीकरण संख्या:		ईपीएफ पंजीकरण संख्या:		
दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		
ईएसआईसी पंजीकरण संख्या:		ईएसआईसी पंजीकरण संख्या:		
दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		
अनुभव के वर्षों की संख्या:		अनुभव के वर्षों की संख्या:		
दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		
क्या कभी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त	निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया	क्या कभी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में काम		
है?		किया है?		
हाँ / नही		हाँ / नही		
सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और सं	स्थान के नाम जहां आखिरी में / वर्तमान	सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और संस्थ	थान <b>के नाम</b> जहां आखिरी <b>में</b> /	
में काम कर <b>रहे हैं</b> ।		वर्तमान में काम कर रहे हैं।		
संस्थान का नाम	अनुभव <b>वर्ष</b>	संस्थान का नाम	अनुभव <b>वर्ष</b>	
1.		1.		
2.		2.		
3.		3.		
4.		4.		
अन्य वैधानिक पंजीकरण / लाइसेंस, यदि कोई हो		अन्य वैधानिक पंजीकरण / लाइसेंस, यदि कोई हो।		
फर्म की तरफ से बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण पत्र संलग्न करें हां / नहीं		फर्म की तरफ से बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले नहीं	ने में, प्राधिकरण पत्र संलग्न करें .: हां /	
एफडीआर/टीडीआर/डीडी संख्या:		एफडीआर/टीडीआर/डीडी संख्या:		
जारीकर्ता बैंक का नाम:		जारीकर्ता बैंक का नाम:		
जारी करने की तारीख:		जारी करने की तारीख:		
		आधार संख्या:		
		दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		
		1		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

$\sim$	$\overline{}$	c	`		_
ान	विद	कता	क	हस्त	क्षर

### (वित्तीय बोली)

## भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

#### सम्पदा कार्यालय

गर्ल्स हॉस्टल टावर की कैंटीन में बेचे जाने वाले आइटम की कीमत शेड्यूल (बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत कीमतों में जीएसटी शामिल होना चाहिए)

C N-	NI 6.4	T1 *4	Weight	Quoted Rates (Rs.)	
S. No.	Name of items	Unit	Factor	In Numbers	In Words
	Drinks/Beverages				
1	Tea	100ml	6	5	
2	Black tea	100ml	2		
3	Green tea	100ml	2		
4	Coffee	100ml	5		
5	Black coffee	100ml	1		
6	Plain milk	200ml	4		
7	Cold Coffee with ice cream	200ml	3		
8	Ice tea	100ml	2		
9	Jaljeera	200ml	2		
10	Cold bournvita	200ml	4		
11	Cold Coffee	200ml	4		
12	Lemonade	200ml	6		
13	Cold drink (all popular brands of Coca-Cola, Pepsi & Amul)	Standard size on MRP	3		
	Sandwiches				
14	Veg Cheese Sandwich	Per piece	5		
15	Egg Cheese Sandwich	Per piece	3		
16	BBC(Bun Butter Cheese)	Per piece	4		
17	Bombay sandwich	Per piece	3		
18	Paneer sandwich	Per piece	4		
19	Grilled Cheese sandwich	Per piece	3		
20	Butter Toast	Per piece	4		
21	Bread Omlet	Per piece	5		
	VEG Snacks/Meal				
21	Papdi Chaat	100 grams	3		
22	Bhelpuri	100 grams	4		
23	Samosa	per piece	6		
24	Spring Roll	150 grams	5		
25	Pasta	150 grams	4		
26	Veg roll	per piece	3		
27	Cheese Frankie		3		
28	Paneer roll	150 grams	4		
29	Veg cutlet (100 gm)	100 grams	3		
30	Masala dosa	per piece	4		
31	Plain dosa	per piece	3		

S. No.	N. 6.4	T1 *4	Weight	Quoted Rates (Rs.)	
5. No.	Name of items	Unit	Factor	In Numbers	In Words
32	Chole Bhature	per plate	3		
33	Poha	150 grams	4		
34	French Fries	100 grams	3		
35	Veg burger	per piece	5		
36	Cheese burger	per piecce	4		
37	Veg/Tomato Soup	200 ml	3		
38	Plain Maggi	Rs.12/- packet	6		
39	Masala Maggi	Rs.12/- packet	6		
40	Veg. Chowmein	150 grams	4		
41	Third party packaged items like chips (lays, uncle chips, haldiram etc.)				
42	Dal Chawal Butter Mix	200 grams	5		
43	Pav bhaji with 4 slices of pav	Each plate	4		
44	Chilli paneer	200 grams	3		
45	Veg. Manchurian	200 grams	3		
46	Aloo Matar (dry)	200 grams	5		
47	Zeera Aloo	200 grams	5		
48	Shahi paneer	200 grams	5		
49	Paneer Tikka Masala	Per piece	4		
50	Tava Paneer	200 grams	5		
51	Malai kofta	per piece	4		
52	Paneer Bhujia	200 grams	5		
53	Mixed veg.	200 grams	5		
54	Mushroom Chilli	200 grams	3		
55	Dal fry	150 grams	5		
56	Dal Makhani	150 grams	4		
57	Veg fried rice	200 grams	5		
58	Plain rice	200 grams	6		
59	Zeera Butter Rice	200 grams	6		
	NON VEG Snacks/Meals				
60	Chicken Burger	per piece	3		
61	Chicken Cheese Burger	per piece	3		
62	Chicken roll	per piece	3		
63	Omelette (double egg)	per piece	5		
64	Maggi (non-veg) egg	Rs.12/- packet	4		
65	Egg. Chowmein	150 grams	5		
66	Chicken Chowmein	150 grams	4		
67	Egg curry	200 grams	5		
68	Chicken Lolipop	2 piece	3		
69	Chicken Kalimirch	150 grams	3		

C N-	S. No. Name of items Unit	T 1 *4	Weight	Quoted Rates (Rs.)	
5. No.		Factor	In Numbers	In Words	
70	Chicken Curry	150 grams	5		
71	Green Chilly Chicken	150 grams	5		
72	Chicken Butter Masala	150 grams	5		
73	Chicken Kassa	150 grams	4		
74	Mutton Curry	150 grams	3		
75	Fish Curry	150 grams	4		
76	Fish Fry	150 grams	4		
77	Chicken Biryani	200 grams	5		
78	Chicken Butter Rice	200 grams	5		
79	Chicken Fried Rice	200 grams	5		
80	Mutton Biryani	200 grams	3		
	Roti / Indian Breads				
81	Roti	per piece	6		
82	Butter Roti	per piece	5		
83	Lachchha Paratha	per piece	6		
84	Plain paratha	per piece	6		
85	Aloo paratha	per piece	6		
86	Paneer paratha	per piece	6		
87	Cheese paratha	per piece	3		
88	Egg Parantha	per piece	3		
89	Onion/Gobhi paratha	per piece	4		
90	Nan	per piece	5		
	Curd Items				
90	Plain Curd	120 grams	5		
91	Boondi Raita	120 grams	5		
92	Onion Raita	120 grams	4		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
निविदाकर्ता का नाम	